

**Differences with States over question of Bonded Labour**

\*277. SHRI GHULAM RASOOL  
KOCHACK:

SHRI P. M. SAYEED:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether sharp differences have arisen between his Ministry and State Governments over the question of bonded labour;

(b) if so, whether the National Labour Institute has put the extent of bonded labour all over the country at about 23 lakhs but as per State Governments only 1,20,000 persons are involved in the bonded system;

(c) whether his Ministry has put nearly 30 lakhs people as bonded labour;

(d) whether requests by the Centre for adequate surveys of the pernicious system has brought forth demand from the State Governments for additional resources and funds; and

(e) whether many of the States have been delaying the matter with the result that Union Government has not been able to abolish the bonded labour system up till now?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): (a) to (e). A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

There have been no instances of any differences between the Ministry

of Labour and the State Governments over the question of bonded labour.

Two nation-wide sample surveys were undertaken in 1978-79 on the incidence of bonded labour system. Of these, the preliminary estimates of the survey jointly conducted by the Gandhi Peace Foundation and the National Labour Institute, put the incidence of the system around 22.4 lakhs. The provisional results of the 32nd Round of the National Sample Survey estimated the incidence at over 3.4 lakhs. These are, however, estimates only. The State Governments, who are primarily responsible for enforcing the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, have so far reported 1,20,292 cases of identified and released bonded labourers.

The figure of 30 lakhs published in the Annual Report of the Ministry of Labour for the year 1978-79, referred to the preliminary findings of National Survey conducted by the Gandhi Peace Foundation and the National Labour Institute, taking into account the possible estimated figures for Maharashtra and Orissa, where surveys were still in progress.

The implementation of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 is the responsibility of the State Governments. To assist the concerned State Governments to speedily rehabilitate their identified and freed bonded labourers, a Central sponsored Scheme is operating under which, 50 per cent matching Central financial assistance is released. The rehabilitation schemes are either land based,

non-land based or skill/craft based, depending upon local conditions and needs. On an average, the Central sponsored Scheme envisages about Rs. 4,000/- to be spent on each bonded labourer, half of which is the Central share.

State-wise details indicating the funds released during 1978-79 and 1979-80 and the rehabilitation of released bonded labourers are given in Annexure-I and Annexure-II.

To accelerate the rehabilitation programme, State Governments have

been requested to take urgent steps, including undertaking extensive local surveys. The concerned State Governments have requested the Centre for increased grants to expedite their rehabilitation programmes. It is with this in view that the current year's allocation has been stepped upto Rs. 3 crores.

The rehabilitation of bonded labour is a continuing process and part of the 20-Point Programme. All efforts are being made, both by the Centre and the States, to tackle the problem as a time bound action programme.



## ANNEXURE-II

## Central Government sponsored Scheme for the rehabilitation of bonded labour

Position relating to the release of Central financial assistance to State Governments during 1978-79 and 1979-80 (Upto 31-3-1980)

S. No.	State	Central financial assistance								
		1978-79			1979-80					
		Released to State Govt.	Utilised by State Govt.	No. of freed bonded labourers rehabilitated by this assistance.	Allocation to State Govt.	Sanctioned to State Govt.	Actual release to State Govt.	No. of freed bonded labourers expected to be rehabilitated by this assistance.		
		(Rupees in lakhs)			(Rupees in lakhs)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Andhra Pradesh	.	18.01	2,920	20.00	19.72	17.73	1,586		
2.	Bihar	.	2.69	388	14.28	7.21	6.62	369		
3.	Karnataka	.	5.07	378	10.28	14.13	7.14	1,521		
4.	Kerala	.	1.65	110	1.65	1.20	0.60	60		
5.	Madhya Pradesh	.	2.37	121	17.00	..	*	..		
6.	Orissa	.	2.13	308	5.11	2.00	1.00	100		
7.	Rajasthan	.	14.00	700	14.00	14.00	10.53	700		
8.	Tamil Nadu	.	5.32	..	5.32	..	*	..		
9.	Uttar Pradesh	.	10.00	495	10.00	10.00	10.00	2,606		
	Total	97.64	55.02	5,420	89.00	68.26	53.62	6,942		

\*No proposals were received from State Governments.

श्री अहमद एम. पटेल: मंत्री जी ने अपने रेप्लाइ में बताया है:

“Estimates of incidence of bonded labour by the Gandhi Peace Foundation”

22,44,000। उस में से आइडेंटिफाई किये गये 1,20,292 और रिहैबिलिटेड किये गये, 89,051। इस तरह से जो आइडेंटिफाई किये गये वे हार्डली 5 परसेन्ट हैं और जो रिहैबिलिटेड किये गये, वे केवल 3 परसेन्ट हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो सर्वे स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से हुआ है, वह प्रोपर सर्वे नहीं किया गया है। बोण्डेड लेबर जिस तरह से डिसगाइज्ड फार्म में है, उस को जिस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए था, उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया गया है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसी कोई योजना तैयार कर रही है जिसके अन्तर्गत स्टेट गवर्नमेंट या तो प्रोपर सर्वे कर सकें या बोण्डेड लेबर्स जिस-जिस फार्म में हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके?

श्री टी. अंबय्या: अभी जो सवाल उठाया गया है, बोण्डेड लेबर के सर्वेक्षण का काम स्टेट गवर्नमेंट्स का है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट्स की जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं उनके अनुसार 1 लाख 20 हजार बोण्डेड लेबर हैं। लेकिन गांधी पीस फाउण्डेशन वालों ने 1978 में सर्वे किया था जिसमें उन्होंने कहा है कि 22 लाख 40 हजार बोण्डेड लेबर हैं। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्वे किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि 3 लाख 40 हजार आदमी हैं। इस तरह से रिपोर्ट्स आयी हैं।

हम लोगों ने फाइव इयर प्लान में 25 करोड़ रुपया अबॉलिशन के लिए रखा था। 1978-79 में 97 लाख 64 हजार रुपये दिये हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को 50 परसेंट 50 परसेंट पैसा खर्च करना पड़ता है। 1979-80 में इसके लिए 53 लाख 62 हजार रुपया 798 LS-2.

दिया गया है। जिन स्टेट्स ने यह कहा कि हमारे यहां बोण्डेड लेबर नहीं है, उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया गया। एक बन्धुवा मजदूर पर चार हजार खर्च होता है तो दो हजार रुपया स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है और दो हजार रुपया केंद्रीय सरकार की तरफ से दिया जाता है। जहां तक इस को इम्प्लीमेंट करने का सवाल है वह एन्टायरली स्टेट गवर्नमेंट का काम है।

श्री अहमद एम. पटेल: अध्यक्ष महोदय, इनकी स्टेटमेंट में 11 स्टेट्स दिखायी गयी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि और स्टेट्स में बोण्डेड लेबर नहीं है।

दो स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र में एस्टीमेशन हुआ है—गुजरात में 1 लाख 71 हजार लोग आइडेंटिफाई किये गये हैं जिनमें से केवल 42 को उन्होंने मुक्त कराया और 42 को ही रिहैबिलिटेड किया। महाराष्ट्र में 1 लाख 5 हजार एस्टीमेशन किये गये हैं जिनमें से किसी को भी आइडेंटिफाई और रिहैबिलिटेड नहीं किया गया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी जो स्टेट्स हैं जो कि सिन्डिकेटीड आइडेंटिफाई नहीं करती हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए कोई स्कीम बनाने जा रही है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अलावा जिससे कि उनका जल्दी से जल्दी रिहैबिलिटेशन हो सके?

श्री टी. अंबय्या: जैसा कि मैंने कहा है कि यह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। बोण्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट का जहां तक सम्बन्ध है, सेंटर के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिसके द्वारा हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। जो स्टेट गवर्नमेंट्स इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिगर्स देती हैं उन्हीं के आधार पर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है।

SHRI GHULAM RASOOL KOCHAK: In view of the contradictions between the survey conducted by the Gandhi Peace Foundation and the National Labour Institute regarding the incidence of bonded labour the figure being shown as 22 lakhs, and the State Government survey

[Shri Ghulam Rasool Kochak]  
which was conducted giving the figure as 1.20 lakhs, what is the Central Government going to do in this case of very grave national importance so that truth is brought out to the country and the controversy solved and they are set free? Whether it is 22 lakhs or 1.20 lakhs, this controversy should be removed in the national interest. Does it not become essential for the Central Government to evolve a scheme both for correcting the estimates and also for identification and setting them free and rehabilitating them, in cooperation with the States, and thus find out a lasting solution both with regard to the real estimate of bonded labour and also to take all steps as was envisaged by this House previously?

श्री टी. अंजय्या: यह सवाल जरा मुश्किल है क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स का कोआप्रेशन नहीं मिलता है तब तक यह मसला हल करने में दिक्कत हो जाती है। यह जो इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है इसका पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को है। स्टेट गवर्नमेंट्स से हमने पूछा। उन्होंने कहा कि नौ स्टेट्स के अन्दर बांडिड लेबर है और फिगर भी दिए हैं। बाकी जो स्टेट्स का मसला है लेबर मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में हम डिसकस करेंगे। तीन कमेटीयां जो बनाई गई हैं उनमें भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन से स्टेट्स इफैक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 25 करोड़ रुपया प्लान के अन्दर रखा है वह किस तरह से अच्छी तरह से खर्च किया जा सकता है इसके बारे में भी उनके साथ बैठ कर बातचीत कर के इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे।

SHRI GHULAM RASOOL KOC-HAK: May I know which State has not implemented the scheme of abolition of bonded labour? The Hon'ble Minister has not been able to reply my question as to how this controversy is to be resolved? There are different figures given by two different Reports. But it is not known which is the correct figure. What are the methods you are going

to evolve to find out whether the figure of about 22 lakhs given by Gandhi Peace Foundation Committee is correct or the figure given by the Indian Labour Organisation is correct? That is my question.

श्री टी. अंजय्या: गांधी पीस फाउन्डेशन ने किस आधार पर कहा है कि इतने आदमी हैं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो इनफर्मेशन हमें प्राप्त हुई है बांडिड लेबर की वह मैंने बता दी है और वह स्टेट्स गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसके आधार पर दी गई है।

जहां तक राज्य सरकारों की कोआप्रेशन का सम्बन्ध है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तमिलनाडु उत्तर प्रदेश ने फाइनेंशियल अस्सिस्टेंस की मांग की और उनको फाइनेंशियल अस्सिस्टेंस दे दी गई।

SHRI GHULAM RASOOL KOC-HAK: Is it not in the fitness of things that the Centre should evolve a scheme in co-operation with the State Governments to find out the correct data about bonded labour? Whether the figure taken by the Central Government is the correct one?

MR. SPEAKER: He has already replied to your question.

SHRI K. MAYA THEVAR: The Hon'ble Minister was stating that it was the responsibility of the State Government to implement the scheme of abolition of bonded labour. But he is aware that the legislation for the abolition of bonded labour has been passed by this House and the Central Government had instructed all the State Government to implement it strictly so that they are freed from bonded labour. I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister to the fact that in some States steps have not been taken by the State Governments to implement the scheme. This is what the Minister has also stated just now. In the case of those States where this scheme has not been implemented, the Central Government must take stringent action against them and give them direction to implement the scheme immediately. For instance, I would like to

mention about Tamil Nadu. I am speaking on the basis of facts and figures which had been placed on the Table of the House. (Interruptions). There were about 2,50,000 persons identified as bonded labour and about 27,828 persons were freed. There are still about 2,23,000 persons to be freed from bonded labour in Tamil Nadu alone. I would like to know whether the Central Government will take necessary steps to give direction to the Government of Tamil Nadu and see that these people are freed from bonded labour immediately. If the Government of Tamil Nadu does not take action on this, the Central Government should be ready to implement the scheme of abolition of bonded labour and go ahead with its implementation because the powers and authority are vested in them.

**श्री टी. अंबय्या:** बाँड्डे लैबर के बारे में एबालिशन का जो एक्ट है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और 20 प्वाइंट प्रोग्राम का एक अंग है। ऐसी बात नहीं है कि इसके बारे में हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी भी है। राज्य सरकारों के साथ हम बराबर इस को परसू करेंगे। आनरेबल मंत्री भी अगर हमें डायरेक्टली बताएंगे कि यहाँ-यहाँ बाँड्डे लैबर सिस्टम है तो हम अपने डिपार्टमेंट के जरिये भी एक्शन लेंगे।

**श्री भारखंडे राय :** क्या श्रम मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखकर यह बताने की कृपा करेंगे कि 33 साल की आजादी के बाद भी यह प्रथा देश में जारी है, चाहे 21 लाख की हो चाहे 1 लाख की हो। विनोबा भावे जी का आन्दोलन भी इस तरह की चीजों को समाप्त करने में असफल रहा है, 20-सूत्री कार्यक्रम में भी एक आइटम था, लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ, लाल भंडा और समाजवादी मम्मेलन के नेतृत्व में भी इसका पूरा उन्मूलन नहीं हुआ। इन सब बातों को देखते हुए क्या भारत सरकार कोई क्रांतिकारी प्रोग्राम बनाने का प्रयास कर रही है? क्या ऐसा प्रोग्राम सब पार्टियों के सहयोग से बनाया जायेगा जिससे राज्य के इस लज्जा के विषय को समाप्त किया जा सके?

**श्री टी. अंबय्या:** इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं।

**SHRI K. MALLANNA:** The amount of relief given to the States as Central financial assistance in the year 1978-79 was Rs. 97-odd lakhs, and the money utilized by the State Governments was Rs. 55.92 lakhs. So far as the utilization is concerned, States like Bihar, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Orissa have not utilized this relief properly. May I presume that the then existing Governments were not implementing the Bonded Labour Abolition Act effectively, but only keeping it in black and white? Not only that; the bonded labourers who were released by the previous Governments, were forced to go back as bonded labourers by the employers and landlords. If that is so, may I know to what extent was the release of bonded labour effected in that year?

**श्री टी. अंबय्या :** जैसा मैंने पहले कहा जहाँ तक फाइनेंशियल एसिस्टेंस का सवाल है, वह स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। पिछली सरकारों ने जितने लोगों को बताया, उतने लोगों को मीचिंग एमाउन्ट दिया गया। अब हम अपनी नई सरकार में एक एडवाइजरी कमिटी बनाएंगे और उसमें इसे डिस्कस करेंगे और जैसा निश्चय किया जायेगा, उसके मुताबिक किया जायेगा।

**श्री मूलचन्द डागा:** बाँड्डे लैबर एबालिशन एक्ट, 1976 में लागू हुआ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि श्रम मंत्री महोदय जिस आन्ध्रप्रदेश स्टेट से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बाँड्डे लैबर वहाँ पर है। आप बतायें कि 1977, 1978 और 1979 के इन तीन सालों में कितने लोगों का चालान किया गया जो कि एक्ट का अनुपालन नहीं कर रहे थे और कितने लोग प्रासीक्यूट किये गये और कितनों को सजा हुई। यह सब बताने की कृपा करें।

**श्री टी. अंबय्या:** यह जो . . . .

श्री रामविलास पासवान: यह गंभीर सवाल है, लेकिन मंत्री महोदय बहुत हल्के ढंग से इसे ले रहे हैं।

MR. SPEAKER: Not allowed.

(Interruptions)\*\*

MR. SPEAKER: Not at all. Not allowed.

श्री मूलचन्द्र डागा :

MR. SPEAKER: Even the answer is not allowed.

श्री चन्द्रपाल शैलानी: बंधुआ मजदूर प्रणाली अमानुषिक कार्य है और कानूनन अपराध है। देश के किसी भाग में हो, यह एक लज्जाजनक बात है। जैसे श्री भारखंडे राय ने कहा कि 33 साल के बाद भी यह समस्या हमारे मूलक में है... मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो लोग इन्सानों को बंधक बना कर रखते हैं, उनसे जबरन काम लेते हैं और उनके बदले उनका रुपया-पैसा नहीं देते हैं, उनकी इज्जत और अस्मत् के साथ खोलते हैं, जो लोग इस तरह के अपराध करते हैं, उनके विरुद्ध अब तक क्या कानूनी कार्यवाही की गई है और अब तक कितने लोगों को सजा दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं है। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसके लिए सैपरेट नोटिस दीजिए ही— बाट्स फ्रेश नोटिस। आप दूसरा नोटिस दीजिए।

श्री भागवत भा आजाद: अध्यक्ष महोदय, जितना महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम है, उसीके अनुसार 25 करोड़ रुपये की राशि भी रखी गई है और उसीके अनुसार केन्द्रीय सरकार ने पत्र और परिपत्र भी लिखे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकारों ने अब तक एक बार सिर्फ 83 लाख रुपये और एक बार 53 लाख रुपये ही क्यों लिये हैं? क्या बंधुआ लेबर की प्रथा समाप्त हो गई है, या क्या इस प्रथा को समाप्त करने में निहित स्वार्थ रुकावट डाल रहे हैं? आखिर कारण क्या

है कि केन्द्रीय सरकार के इतने परिश्रम और उसके द्वारा इतनी राशि देने के बावजूद राज्य सरकारें कदम नहीं उठा रही हैं? इस प्रथा को हटाया क्यों नहीं जा रहा है?

श्री टी. अंजय्या: 20 पायंट प्रोग्राम में यह प्रोग्राम लिया गया था। लेकिन जनता सरकार ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली और बांडिड लेबर के एबालिशन में कोई महयोग नहीं दिया, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम का जैसा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए गांव-गांव में भगड़े पैदा करें। हम उन लोगों को री-हैबिलिटेट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जनता गवर्नमेंट ने इस बारे में कुछ नहीं किया।

#### Deaths due to T.B.

\*271. DR. SARADISH ROY: Will the Minister of HEALTH be pleased to state:

(a) whether Government are aware that 6 lakh people die of T.B. a year in our country; and

(b) if so, reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR):  
(a) Yes, Sir, it is so estimated.

(b) The State Government have set up a larger number of T. B. Hospitals/Clinics for the detention and treatment of T. B. cases. In addition, a National T. B. Control Programme to combat the problem of T.B. with the overall objective of reducing the morbidity and mortality due to T. B. has also been in operation for the last many years. Under this programme, District T. B. Centres run by the State Governments, are being equipped with the radiographic equipment to enable them to undertake detection of T. B. cases. The programme